रेलवे सुरक्षा बल की भूमिका

रेलवे सुरक्षा बल का सिस्टम उथल-पुथल से उभरा है; इसके अस्तित्व के जितने रूप हैं कार्य करने के उतने ही तरीके हैं जैसा कि ब्रिटिश भारत में रेलवे कंपनियां काम करने की एकरूपता प्रदान करने के लिए थीं, आर.पी.एफ. नियम 1959 में बनाए गए थे और आर.पी.एफ. अधिनियम 1966 में प्रकाशित हुए थे। उसी वर्ष में , रेलवे संपत्ति में शामिल अपराधियों को पकड़ने और उन पर मुकदमा चलाने की कुछ सीमित शक्तियां रेलवे संपत्ति (गैरकानूनी कब्जा) अधिनियम, 1966 को लागू करके बल को प्रदान की गईं। मुख्य रूप से आर.पी.एफ. को रेलवे संपत्ति की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। लेकिन, जहां एक प्रभावी और अनुशासित बल के रखरखाव के लिए आर.पी.एफ. अधिनियम के प्रावधानों को जल्द ही अभाव ग्रस्त पाया गया, वहीं आर.पी.एफ. नियम और अधिनियम भी न्यायिक रूप से अस्वस्थ पाए गए। संघ के सशस्त्र बल के रूप में बल के गठन और रखरखाव के लिए 20 सितंबर 1985 को आर.पी.एफ. अधिनियम, 1957 को संसद द्वारा 1985 के अधिनियम संख्या 60 के अनुसार संशोधित किया गया था।

कमिटी ने सुझाव दिया कि चूंकि रेलवे पर पुलिस व्यवस्था राज्य सरकारों की संवैधानिक जिम्मेदारी है, इसलिए रेल यात्रियों की सुरक्षा से संबंधित कुछ मामलों को पुलिसिंग कार्यों से अलग करके रेलवे सुरक्षा बल को दिया जा सकता है।

समिति ने यह भी सिफारिश की कि रेलवे सुरक्षा बल को यात्रियों की सुरक्षा से संबंधित निम्नलिखित अतिरिक्त कार्य दिए जाएं:

1). संवेदनशील क्षेत्रों में यात्री ट्रेनों का अनुरक्षण।
2). यात्री क्षेत्रों और परिसंचारी क्षेत्रों में प्लेटफार्मों पर अभिगम नियंत्रण, विनियमन और सामान्य सुरक्षा प्रदान करना।

रेल मंत्रालय ने समिति की उपरोक्त सिफारिशों को स्वीकार कर लिया। तदनुसार, रेलवे अधिनियम/आर.पी.एफ. अधिनियम में संशोधन द्वारा आर.पी.एफ. को उन अपराधों से निपटने का अधिकार दिया गया है, जो सीधे रेलवे के कामकाज से संबंधित हैं, क्योंकि पुलिस के पास कानून और व्यवस्था के कर्तव्यों में व्यस्त होने के कारण छोटे अपराध के लिए बहुत कम समय है। इसी पृष्ठभूमि में आर.पी.एफ. अधिनियम और रेलवे अधिनियम में संशोधन किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय रेलवे पर यात्रियों और यात्री क्षेत्रों की सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए राज्य सरकारों के प्रयासों को पूरा करना है। रेलवे सुरक्षा बल को ये अतिरिक्त जिम्मेदारी देने के लिए रेलवे संपत्ति, क्षेत्र और यात्री को बेहतर सुरक्षा प्रदान करने के लिए तथा आरपीएफ को अधिक कानूनी अधिकार प्रदान करने के लिए 23 दिसंबर 2003 को 2003 के अधिनियम संख्या 52 के माध्यम से रेलवे सुरक्षा बल अधिनियम 1957 को फिर से संशोधित किया गया था, नवीनतम संशोधन के मद्देनजर आरपीएफ को निम्नलिखित कार्य सौंपे गए हैं: -

1). रेलवे संपत्ति, यात्री क्षेत्र और यात्री की रक्षा और सुरक्षा के लिए;
2). रेलवे संपत्ति या यात्री क्षेत्र की आवाजाही में किसी भी बाधा को दूर करने के लिए; तथा
3). रेलवे संपत्ति, यात्री क्षेत्र और यात्री की बेहतर सुरक्षा और बचाव के लिए कोई अन्य कार्य करने के लिए।

इसके अलावा, यह महसूस किया गया कि रेलवे अधिनियम के तहत मामलों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए, रेलवे सुरक्षा बल को रेलवे अधिनियम के तहत अपराध करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ पूछताछ करने और अभियोजन शुरू करने का अधिकार दिया जाना चाहिए और तदनुसार आरपीएफ को सशक्त बनाने के लिए रेलवे अधिनियम में संशोधन किया गया है। अधिनियम के तहत आने वाले अपराधों की जांच और मुकदमा चलाने के लिए।

उपरोक्त संशोधन निम्नलिखित कारणों से करना आवश्यक था:-

1). रेलवे सुरक्षा बल यात्री और उसके सामान को सुरक्षा और बचाव प्रदान करने के लिए कानूनी रूप से सक्षम होगा, जिससे बेहतर यात्री सुविधा सुनिश्चित होगी।
2). स्टेशनों तक पहुंच नियंत्रण को अधिक प्रभावी तरीके से नियमित किया जा सकता है और यात्री क्षेत्र और संचलन क्षेत्र में प्लेटफार्मों पर सामान्य सुरक्षा को सुदृढ़ किया जाएगा।

3). रेलवे अधिनियम के तहत सशक्तिकरण अधिक सुचारू ट्रेन संचालन सुनिश्चित करेगा क्योंकि रेलवे अधिनियम के कई वर्गों का उद्देश्य परेशानी मुक्त ट्रेन संचालन है।
4). आरपीएफ को नई जिम्मेदारी सौंपने का मतलब होगा मानव संसाधनों का उच्चतम उपयोग।
5). रेलवे सुरक्षा बल यात्रियों के खिलाफ किसी भी संज्ञेय अपराध की रोकथाम के लिए कदम उठाने में सक्षम होगा और ऐसे अपराधों में शामिल किसी भी व्यक्ति को पकड़ने के लिए कानूनी रूप से सशक्त होगा।

आरपीएफ और रेलवे अधिनियम में संशोधन की शुरूआत के साथ, आरपीएफ को रेलवे अधिनियम के मामलों में जांच करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं। आरपीएफ ने चुनौती स्वीकार कर ली है और भारतीय रेलवे पर 1286 महत्वपूर्ण यात्री ट्रेनों को आरपीएफ एस्कॉर्ट प्रदान किया गया है।

————————-000000————————